न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
अध्यक्षता : ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या :–– 11/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मीनाक्षी सारस्वत, पटवारी, पटवार हल्का बोमादडा, तहसील व जिला पाली।		जिला कलक्टर (भू0अ0) पाली

अपील अंतर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 विरुद्ध आदेश जिला कलेक्टर पाली क्रमांकः भू.अ./वि.जां/2018/10 दिनांक 22.1.2018 बाबत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने।

उपस्थिति :

1.अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2.विभागीय पैरोकार अनुस्थित।

निर्णय

दिनांकः 3.102018

अपील प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अपीलांट मीनाक्षी सारस्वत, पटवार हल्का बोमादडा तहसील व जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

आरोप सं. 1:––

आप मीनाक्षी सारस्वत, पटवारी बोमादडा तहसील पाली, के पद पर कार्यरत रहते हुए आपको पूर्व मे सूचित करने के पश्चात भी उपखण्ड अधिकारी पाली के भ्रमण के दौरान आप पटवार मुख्यालय बोमादडा से सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अनुपथित पाई एवं आप द्वारा एमजेएसए कार्य के प्रति कोई रूचि नही ली जा रही है। आपका उक्त कृत्य आदेशों की अवहलेना एवं कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। अतः आप दोषी है।

आरोपी द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर आरोप को अस्वीकार किया करने पर जिला कलेक्टर, सिरोही ने उपखण्ड अधिकारी, रोहट को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रदान कर, बाद सुनवाई अपनी जांच रिपोर्ट मे आरोपी पर आरोपित आरोप दिनांक 3.12.2016 का पूर्ण दोषी माना है तथा दिनांक 5.12.2016 का आंशिक दोषी माना है। को प्रमाणित माना। जिला कलेक्टर, पाली द्वारा आरोपी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध 16 सीसीए की कार्यवाही को 17 मे परिर्वतित कर आदेश दिनांक 22.1.2018 के द्वारा आरोपी कर्मचारी को कार्य के प्रति लापरवाही का दोषी मानते हुए जिला कलेक्टर, पाली ने एक वार्षिक वेतन वृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने उपस्थित अपीलान्ट की बहस सुनी। अपीलान्ट नेयह कि अपीलार्थीया के द्वारा अपने राजकीय सेवा में राजकीय कार्य ईमानदारी एवं तत्परता से सही समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अपने पदीय दायित्वों के अधीन रहकर सम्पादित करती आ रही है। अपीलार्थिया पटवार मण्डल बोमादडा के पद पर कार्यरत रहने के दौरान अपीलार्थिया पर जिला कलेक्टर कार्यालय के पत्रांक 18323 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत ज्ञापन/आरोप पत्र जारी करते हुए यह आरोप आरोपित किया गया कि ''आप श्रीमती मीनाक्षी सारस्वत पटवारी बोमादडा तहसील पाली के पद पर कार्यरत रहते हुए आपको पूर्व में सूचित करने के पष्चात भी उपखण्ड अधिकारी पाली के भ्रमण के दौरान आप द्वारा पटवार मुख्यालय बोमादडा से सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अनुपस्थित पाई गई एवं आप द्वारा एमजेएसए कार्य के प्रति कोई रूचि नहीं ली जा रही है। आपका उक्त कृत्य आदेशों की अवहेलना व कार्य के प्रति लापरवाही का घोतक है। अतः आप दोषी है।''

यह कि अपीलार्थिया ने उक्त आरोप को अस्वीकार करते हुए उक्त नोटिस का प्रत्युतर दिनांक 15.03.2017 को जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा यह निवेदन किया था कि दिनांक 3.12.16 एवं 5.12.16 के समय मेरे बोमादडा के अतिरिक्त पडासला खुर्द एवं बाणियावास पटवारी का चार्ज होने से उस क्षेत्र के कार्यो का भी संपादन कर रही थी। तथा 3.12.16 को उपखण्ड अधिकारी पाली से दिन में करीब 2 बजे फोन से सूचना प्राप्त हुई कि वे एमजेएसए कार्यो का निरीक्षण करेंगे। तब अपीलार्थिया पटवारी मण्डल के ग्राम पडासला खुर्द में एमजेएसए परियोजना के सम्बन्ध में स्वयं उपस्थित रहीं। लेकिन उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दूरभाष से मेरी उपस्थिति की जानकारी नहीं लिये जाने पर मेरे द्वारा 4 बजे सांय को उनसे निरीक्षण के सम्बन्ध में निवेदन करने पर बताया कि मैं बोमादडा से निकल गया हूँ ।

श्रीमती मीनाक्षी सारस्वत, पटवारी बोमादडा, तहसील पाली बनाम जिला कलेक्टर,पाली

यह कि अपीलार्थीया के दिनांक 5.12.16 को घर से अति आवष्यक कार्य (दुर्घटना होने) की सूचना दूरभाष से प्राप्त होने पर तहसीलदार पाली को मुख्यालय छोडने की की सूचना देकर जोधपुर रवाना हो गई तथा तत्पष्चात रवाना होने के करीब आधे घण्टे के बाद 3 बजे तहसीलदार पाली ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी को क्षेत्र में दौरा रहेगा, तो उसने तहसीलदार पाली को पारिवारिक स्थिति के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी से निवेदन करने को कहा।

यह है कि अपीलार्थिया एमजेएसए परियोना की स्कूल विघार्थियों की रैलियों में उपस्थित रही है तथा उसके द्वारा उसकी जानकारी ग्रामीणों को देना तथा उक्त कार्यो का समय पर निरीक्षण भी किया गया। अन्य धारित किये गये राजकार्य भी समय पर सम्पादित किये गये है। इसके अतिरिक्त एमजेएसए योजना की जमाबन्दी प्रगति भी अपीलार्थिया के द्वारा पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग को प्रेषित की गई थी। इस प्रकार अपीलार्थिया के द्वारा उक्त ज्ञापन/नोटिस का नियमानुसार संतोषजनक प्रत्युतर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया था।

जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलार्थिया के प्रत्युतर पर विभागीय विस्तृत जॉच कराने का निर्णय लेते हुए उपखण्ड अधिकारी रोहट को जॉच अधिकारी नियुक्त कर विभागीय जॉच करवाई। जिसमें आरोपित आरोप में दिनांक 3.12.16 का दिनांक 5.12.16 का आंशिक दोष माना गया। तत्पष्चात श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा दिनांक 20.11.17 को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के दौरान अपीलार्थिया के द्वारा पुनः यही तथ्य दोहराते हुए आरोपित आरोप से दोषमुक्त करने का निवेदन किया था, परन्तु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलार्थिया को आरोपित किये गये तथ्यों को पूर्णतया दोषी मानते हुए उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2018 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थिया द्वारा यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रही है।

यह है कि दिनांक 3.12.2016 को उपखण्ड अधिकारी महोदय पाली के द्वारा बोमादडा/पडासलाखुर्द के भ्रमण/निरीक्षण किये जाने की सूचना मिलने पर अपीलार्थिया ने एमजेएसए सम्बन्धी कार्यो की सूचना संकलित कर अपने पास अतिरिक्त कार्यभार के रूप में धारित पटवार मण्डल पडासलाखुर्द में उपस्थित थी परन्तु उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पटवार मण्डल बोमादडा का ही निरीक्षण किया गया, ऐसे में अपीलार्थीया को उक्त निरीक्षण की जानकारी हो जाने पर अपीलार्थिया के द्वारा दूरभाष पर उपखण्ड अधिकारी को पटवार मण्डल पडासलाखुर्द में उपस्थित रहने बाबत अवगत करवा दिया था।

इसी प्रकार दिनांक 5.12.2016 को अपीलार्थिया के वर्तमान निवास यानि जोधपुर में अपने निकट रिष्तेदार की सडक दुर्घटना हो जाने पर अपीलार्थीया का वहॉ पर तुरन्त पहुंचने की सूचना अपीलार्थिया को मिलने पर अपीलार्थिया ने मुख्यालय छोडने की सूचना तहसीलदार महोदय को दूरभाष पर देते हुए जोधपुर रवाना हो गई थी। उस समय तक उपखण्ड अधिकारी महोदय के उनके पटवार क्षेत्र में एमजेएसए परियोजना के कार्यो का निरीक्षण किये जाने की कोई सूचना अपीलार्थीया या अन्य कर्मचारी को नहीं थी। लगभग दोपहर 3.00 बजे बाद तहसीलदार के द्वारा दूरभाष पर अपीलार्थिया को बताया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उनके क्षेत्र में निरीक्षण करेंगे। ऐसे में अपीलार्थिया का जोधपुर से वापस पटवार मण्डल पहुंच पाना असम्भव था और अगर अपीलार्थिया । रवाना भी हो जाती तो भी वह उपखण्ड अधिकारी महोदय के निरीक्षण स्थल पर सांय तक भी नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा आकस्मिक घटना की सूचना मिलने पर कोई भी कर्मचारी अपने उच्चाधिकारी से मात्र मौखिक रूप से अनुमति ही प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करता है तथा आकस्मिक अवकाश ले सकता है। इसमें पूर्वानुमति लिये जाने का समय ही मिल सकता है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलार्थिया को आरोपित आरोप में दोषी माने जाने से पूर्व तहसीलदार महोदय पाली से अपीलार्थिया के द्वारा उक्त दिनांक 3.12.2016 तथा दिनांक 5.12.2016 को मुख्यालय परित्याग की पूर्व मौखिक अनुमति लिये जाने सम्बन्धी जानकारी लेनी चाहिये थी जिससे उपरोक्त आरोप में वर्णित गलत तथ्यों की स्वतः ही आलोचना हो जाती और अपीलार्थिया के प्रत्युतर में दर्षाये गये तथ्यों की सत्यता की पुष्टि हो जाती। अपीलार्थिया पटवारी का अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहने के उपरान्त भी यह कार्यवाही सम्पादित कर दी गई जो कि पूर्णतया अनुचित है।

यह है कि अपीलार्थिया पर अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति अथवा उच्चाधिकारियों के निर्देषों की अवहेलना किये जाने सम्बन्धी कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई है और न ही राजकीय सेवा दूषित रही है। अतः उपरोक्त तथ्यों पर विनम्रता पूर्वक सहानुभूति रखते हुए अपीलार्थिया को आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जावें तथा अपीलार्थिया की रोकी गई एक वार्षिक वेतनवृद्धि को बहाल किया जावें। अपीलान्ट की उक्त पटवारी पद पर नियुक्ति हुए कम समय हुआ है और उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की राजकीय सेवा में बहुत अधिक भविष्यलक्षी प्रभाव आ जायेगा और अपीलान्ट का सेवा रेकर्ड भी दूषित हो जायेगा।

यह है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दिये जाने पर उसे राजकीय सेवा में दोहरी हानि उठानी पडेगी तथा अपीलान्ट उसे पदौन्नति सम्बन्धी परिलाभों से भी वंचित होना पडेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों

श्रीमती मीनाक्षी सारस्वत, पटवारी बोमादडा, तहसील पाली बनाम जिला कलेक्टर,पाली को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा अपील के संलग्न साक्ष्य सबूतों, जॉच रिपोर्ट, जिला कलेक्टर, पाली कार्यालय से प्राप्त टिप्पणी, इत्यादि का अवलोकन किया। इस प्रकरण से सम्बन्धित समस्त परिस्थितियों का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात यह तथ्य सामने आया है कि अपीलान्ट पर आरोपित आरोप दस्तावेजों, साक्ष्य, सबूतों के अधार पर जांच रिपोर्ट मे अपीलान्ट को दिनांक 3.12.2016 का पूर्ण दोषी मना है तथा दिनांक 5.12.2016 का आंशिक दोषी माना है। अपीलान्ट को दिनांक 3.12.2016 को उपखण्ड अधिकारी, पाली के निरीक्षण की सूचना दिन मे करीब 2 बजे प्राप्त हो गयी थी, इसके बावजूद अपीलान्ट अपने मूल पदस्थापन स्थान बोमादडा नही पहुंची और ना ही पटवार हल्का पडासला मे जाने की कोई सूचना पटट पर अंकित की, जो कि नियमानुसार की जानी चाहिए थी। अपीलान्ट ने दिनांक 5.12.16 को तहसीलदार पाली को सूचना देकर जोधपुर जाने का अवगत कराया गया। बोमादडा से जोधपुर जाने का रास्ता पाली होकर ही है। वे तहसीलदार, पाली को प्रार्थना पत्र देकर जा सकती थी, जो उसके द्वारा नही दिया गया। इस प्रकार जांच रिपोर्ट मे अपीलान्ट को दिनांक 3.12.2016 का पूर्ण दोषी मना है तथा दिनांक 5.12.2016 का आंशिक दोषी माना है। इस आधार पर आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध 16 सीसीए की कार्यवाही को 17 मे परिर्वतित कर आरोपी कर्मचारी को कार्य के प्रति लापरवाही का दोषी मानते हुए जिला कलेक्टर, पाली ने अपने आदेश दिनांक 22.1.2018 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का जो लधु दण्ड दिया वह न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.1.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 3.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर